

कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 25 अगस्त, 2017 को अपलोड किया जाए ।

भारत सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कर्मचारी चयन आयोग

उत्तर पश्चिम क्षेत्र
चण्डीगढ़

(वेबसाइट : www.sscnwr.org)

भर्ती विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या - NWR-2/2017

फाइल सं. S.11011/4/2017

अंतिम तिथि 24 सितम्बर, 2017

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।"

इस विज्ञप्ति के पैरा 4 में उल्लिखित चयन पदों के लिए, इस विज्ञप्ति के पैरा 6 के अंतर्गत यथा-उल्लिखित राष्ट्रीयता/नागरिकता वाले पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । केवल वे आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें वेबसाइट <http://ssconline.nic.in> के माध्यम से सफलतापूर्वक भरा गया है तथा जिनके ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट को समस्त अपेक्षित दस्तावेजों सहित कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त कर लिया गया है ।

2. अभ्यर्थियों को पद के लिए आवेदन करने से पूर्व भर्ती विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञप्ति में यथा-उल्लिखित समस्त पात्रता शर्तों जैसे आयु सीमा/ अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव/श्रेणी इत्यादि को पूरा करते हैं । वे अभ्यर्थी, जो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी अभ्यर्थिता को किसी सूचना के बिना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रूक कर दिया जाएगा । आवेदकों की अभ्यर्थिता, भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पूर्णतः अनंतिम होगी ।

3. आवेदन की प्रस्थिति से लेकर उपरोक्त विभाग को चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन तक, जिसमें अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र भेजना भी शामिल हैं, इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचना कर्मचारी चयन आयोग उत्तर पश्चिम क्षेत्र की वेबसाइट अर्थात् www.sscnwr.org पर उपलब्ध होगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम सूचना प्राप्त करने के लिए उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें ।

टिप्पणी : अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग द्वारा पत्राचार ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से किया जा सकता है । अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित अद्यतन स्थिति/सूचना के लिए कर्मचारी चयन आयोग(मु.) और कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट को भी नियमित रूप से देखते रहना होगा ।

4. पदों के ब्यौरे/विवरण**POST CATEGORY NO: NW20117**

A	Name of Post	Assistant Store Keeper
B	Classification	General Central Services, Group 'C' – Non Gazetted, Non Ministerial
C	Vacancy	02 [UR-1(VH), OBC – 01(HH)]
D	Department	Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
E	Age	Between 18 to 27 Years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions).
F	Pay Scale	Level – 2 in the Pay Matrix
G	Essential Qualifications	12 th pass from a recognized Board or equivalent, possessing knowledge of

		Hindi and three years experience of maintaining store accounts.
H	Desirable Qualification	Nil
I	Initial Place of Posting	Punjab, Haryana & Chandigarh. Liable to be transferred to any CGWB offices/ establishment where his services are needed.
J	Job Requirement	He will assist the store keeper in proper upkeep receipt and issue of store when posted at division. He will be physically custodian of stores at site under over all supervision of driller-Incharge when posted at drill site. He will be responsible for proper receipt, issue and upkeep of stores. Any other duties assigned by his supervisors.
K	Instruction for PH(PWD) Candidates (whether post is identified Suitable/ Not Suitable for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible)	The post is identified Suitable for OH, VH(PB) & HH(PD).

(ii) **POST CATEGORY NO: NW20217**

A	Name of Post	Farm Manager
B	Classification	General Central Services, Group –‘B’ Non Gazetted, Non Ministerial
C	Vacancy	01 (UR – 01)
D	Department	Central Poultry Performance Testing Centre, Department of A.H., Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
E	Age	Not exceeding 30 Years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions).
F	Pay Scale	Pay Band-9300-34800 with G.P-4200 (Pre-revised)
G	Essential Qualifications	Degree in Veterinary Science And Animal Husbandry from a recognized University or Institute
H	Desirable Qualification	Two years working experience in Poultry Farming
I	Initial Place of Posting	Central Poultry Performance Testing Centre Narsinghpur Gurgaon 122004
J	Job Requirement	Management of Poultry Flocks of different age groups at the Farm including vaccination, debeaking, wing banding, leg banding, trap nesting etc. Management of various Hatchery operations at the Farm. Marketing of eggs and birds produced at the

		Farm. Maintenance of proper records of livestock, eggs, hatchery, feeds and feed ingredients and other stocks and stores at the Farm.
K	Instruction for PH(PWD) Candidates (whether post is identified Suitable/ Not Suitable for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible)	Not Suitable

(iii) **POST CATEGORY NO: NW20317**

A	Name of Post	Technical Operator (Drilling)
B	Classification	General Central Services, Group 'C' – Non Gazetted, Non Ministerial
C	Vacancy	41 (UR-25, OBC – 02, SC-12, ST-02)
D	Department	Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
E	Age	Between 18 to 27 Years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions).
F	Pay Scale	Level – 2 in the Pay Matrix
G	Essential Qualifications	Matriculation or equivalent from a recognized Board or University and Certificate from Industrial Training Institute in Motor Mechanic or Diesel Mechanic or Fitter.
H	Desirable Qualification	Nil
I	Initial Place of Posting	Jammu & Kashmir – 16, Punjab, Haryana & Chandigarh – 20 and Himachal Pradesh -05 Liable to be transferred to any CGWB offices/ establishment where his services are needed.
J	Job Requirement	Shifting of rig and equipment from one site to other. Loading, unloading and stacking of stores and equipments. Digging of pits, leveling of rig, mud mixing, gravel shrouding etc. Lifting and lowering of test pumps. Attending repairing and maintenance of drilling rig equipment, vehicles, pumps etc available in the unit. Assisting drilling crew in different operations. Watch and ward duty in the rig unit. Basically, he should be physically and medically capable to lift loads and weighting equipment and

		handle them. Any other duties as assigned by his superiors.
K	Instruction for PH(PWD) Candidates (whether post is identified Suitable/ Not Suitable for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible)	Not Suitable

(iv) **POST CATEGORY NO: NW20417**

A	Name of Post	Handicrafts Promotion Officer
B	Classification	General Central Services, Group –‘B’ Non Gazetted, Non Ministerial
C	Vacancy	09 (UR-05, OBC – 02, SC-01, ST-01)
D	Department	O/o the Development Commissioner (Handicrafts), M/o Textiles, West Block 7, R.K.Puram, New Delhi – 110066.
E	Age	Not exceeding 30 Years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions).
F	Pay Scale	PB-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4200/- (Pre revised)
G	Essential Qualifications	Bachelor’s Degree in Design or Fine Arts (Fashion or Textile or Apparel Production) of four years’ duration from a recognized University or Institute with one year experience in field of handicrafts or cottage or small scale industry; Or Diploma in Fine Arts (Fashion or Textile Design) of three years’ duration from a recognized University or board or Institute plus two year’s experience in field of handicrafts or cottage or small scale industry .
H	Desirable Qualification	Nil
I	Initial Place of Posting	One each at Marketing & Service Extension Centre, (i) Kullu (HP) (ii) Rewari (Haryana) (iii) Anantnag (J&K) (iv) Baramulla (J&K) (v) Leh (J&K) (vi) Srinagar (J&K) (vii) Udhampur (J&K) (viii) Jammu (J&K) (ix) Hoshiarpur (Punjab)
J	Job Requirement	Field work in connection with the development of handicrafts & collection of primary data. Processing of schemes for financial assistance

		for the development of handicrafts.
K	Instruction for PH(PWD) Candidates (whether post is identified Suitable/ Not Suitable for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible)	Not Suitable

(v) **POST CATEGORY NO: NW20517**

A	Name of Post	Stockman (Junior Grade)
B	Classification	General Central Services, Group 'C' – Non Gazetted, Non Ministerial
C	Vacancy	05 (UR-02, OBC – 03)
D	Department	Central Herd Registration Scheme, Deptt. of A.H.D. & Fisheries, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
E	Age	18 to 27 Years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions).
F	Pay Scale	Rs. 19900/- (7 th CPC) Level-2, Cell-1 (Pay Band-1, Rs 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900/-, 6 th CPC)
G	Essential Qualifications	1. 12 th class pass from recognized board 2. Diploma or Certificate in livestock from a recognized institute or university or Government Department
H	Desirable Qualification	Nil
I	Initial Place of Posting	Distt. Rohtak (Haryana)
J	Job Requirement	To collect the superior Germ plasm through Milk Recording, Registration & Survey animals, To introduce Milk Recording, To study the Production and Breeding Data, To assist the Breeders through Sale and Providing Technical guidance, Extension of Central Herd Registration Scheme, and Animal Husbandry activities in the breeding tract. The duties of post are field oriented in odd hours.
K	Instruction for PH(PWD) Candidates (whether post is identified Suitable/ Not Suitable for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible)	Not Suitable

(vi) **POST CATEGORY NO: NW20617**

A	Name of Post	Junior Chemist
B	Classification	General Central Services, Group 'C' – Non Gazetted, Non Ministerial
C	Vacancy	01 (UR – 01)
D	Department	Directorate of Marketing and Inspection, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
E	Age	Not exceeding 30 Years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions).
F	Pay Scale	PB-1, 5200-20200/- GP-2800/- (pre-revised) Revised scale as per 7 th CPC – Pay Matrix Rs 29200/-, Level - 5
G	Essential Qualifications	Master's degree in Chemistry or Dairy Chemistry or Oil Technology or Food Technology from a recognized University OR Bachelor of Science Degree with Chemistry as one of the subjects or Bachelor of Science (Hons) in Chemistry from a recognized University or equivalent and with two years experience in analytical work.
H	Desirable Qualification	Nil
I	Initial Place of Posting	RAL, Amritsar
J	Job Requirement	Chemical Analysis of Sample of all Agmark articles.
K	Instruction for PH(PWD) Candidates (whether post is identified Suitable/ Not Suitable for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible)	Not Suitable

(vii) **POST CATEGORY NO: NW20717**

A	Name of Post	Cleaner
B	Classification	General Central Services, Group 'C' – Non Gazetted, Non Ministerial
C	Vacancy	07 (UR-02, OBC – 02, SC-02, ST-01)
D	Department	Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
E	Age	Between 18 to 27 Years (Age relaxation is admissible as per Govt. Instructions).
F	Pay Scale	Level – 1 in the Pay Matrix
G	Essential	10 th class pass certificate from a recognized

	Qualifications	Board or Institute
H	Desirable Qualification	Motor Driving Licence for Heavy Vehicle
I	Initial Place of Posting	Chandigarh Liable to be transferred to any CGWB offices/ establishment where his services are needed.
J	Job Requirement	(i) He will accompany the truck and help the driver in performing the journey safely and be responsible for safety of stores loaded on truck (ii) Proper loading and unloading of stores from the truck. (iii) Proper maintenance and upkeep of vehicle. (iv) He will drive the vehicle if holding valid driving license as and when required with prior approval of Divisional Officer (v) Any other duty assigned by his superiors.
K	Instruction for PH(PWD) Candidates (whether post is identified Suitable/ Not Suitable for PH (PWD) Candidates along with details of disability admissible)	Not Suitable

टिप्पणी-I : इन रिक्तियों को संबंधित मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया है। मांगकर्ता कार्यालयों द्वारा रिक्तियां वापस लेने/रिक्तियों में परिवर्तन के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी-II : वे अभ्यर्थी, जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए तथा प्रत्येक पद के परीक्षा शुल्क का भुगतान करना चाहिए। वे प्रत्येक पद के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी को भी, नीचे पैरा 8 में यथा-उल्लिखित क्षेत्रीय कार्यालय को अवश्य प्रस्तुत करें।

5. प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :

क.च.आ. : कर्मचारी चयन आयोग, मं: मंत्रालय, वि: विभाग, का: कार्यालय, आयु: आयु-सीमा, अ.यो. : अनिवार्य योग्यता, वां.यो. : वांछनीय योग्यता, प्रा.तै. : प्रारंभिक तैनाती, अ.भा.से.दा. : अखिल भारतीय सेवा दायित्व, का.अ. : कार्य अपेक्षाएं, अना : अनारक्षित, सा: सामान्य, अपिव : अन्य पिछड़ा वर्ग, अ.जा : अनुसूचित जाति, अ.ज.जा : अनुसूचित जनजाति, भू.पू.सै : भूतपूर्व सैनिक, शा.दि. : शारीरिक दिव्यांग, अ.दि. : अस्थि दिव्यांग, श्र.दि. : श्रवण दिव्यांग, दृ.दि. : दृष्टि दिव्यांग, ए.बां: एक बांह प्रभावित, ए.पै. : एक पैर प्रभावित, दो.पै. : दोनो पैर प्रभावित, आं.ब. : आंशिक बधिर, अ.दृ. : अल्प दृष्टि, के.स.सि.क. : केन्द्रीय सरकार सिविलयन कर्मचारी ल.न. : लागू नहीं, अ.से.आ: अन्य सेवारत आवेदक

।

6. राष्ट्रीयता/नागरिकता:
अभ्यर्थी या तो :
- (क) भारत का नागरिक हो, या
 - (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
 - (ग) भूटान की प्रजा हो, या
 - (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या
 - (ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

6.1 बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

6.2 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करने के बाद ही उसे दिया जाएगा।

7. परीक्षा शुल्क, शुल्क के भुगतान से छूट तथा शुल्क के भुगतान का तरीका।

क. परीक्षा शुल्क

"भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग/सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड" अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से 100रु. (मात्र सौ रूपए)

किसी अन्य तरीके से भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भुगतान किए गए शुल्क को किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाया नहीं जाएगा। आवेदन किए गए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का अलग-अलग भुगतान किया जाए।

ख. शुल्क के भुगतान से छूट

सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है।

8. ऑनलाइन आवेदन तथा शुल्क का भुगतान कैसे करें :

i) अभ्यर्थियों को पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

ii) अभ्यर्थी नोट करें कि केवल <http://ssconline.nic.in> पर भरे गए ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iii) अभ्यर्थी किसी पद के लिए केवल एक बार आवेदन करें। किसी एक पद के लिए अनेक आवेदनों की स्थिति में, सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iv) ऑनलाइन आवेदनों को भरने की कार्यविधि अनुबंध-1(क) में दी गई है।

V) आवेदन प्रपत्र को ऑनलाइन भरने के पश्चात तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद, अभ्यर्थी को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए तथा उस पर उसी फोटोग्राफ की प्रति चिपकानी चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन प्रपत्र को भरते समय किया गया था और इसके साथ आयु, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, जहां इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/श्रेणी(अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै- उसी प्रारूप में जैसा कि विज्ञप्ति में दिया गया है) के समर्थन में प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें और उसे नीचे उल्लिखित पते पर क्षेत्रीय निदेशक को भेज दें ताकि यह निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् 24 सितम्बर, 2017 से दस दिनों के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय पहुँच जाए ।

उप क्षेत्रीय निदेशक (उपक्षे)

कर्मचारी चयन आयोग

केंद्रीय सदन, सैक्टर 9 ए

चण्डीगढ़ 160009

vi) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदनों में दी गई सूचना को आयोग द्वारा मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा । दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने के विरुद्ध किसी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना भरी है ।

9. ऑनलाइन आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि 24.9.2017 (5.00 बजे अपराह्न) है । ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि 24.9.2017 (5.00 बजे अपराह्न) है ।

10. अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि :

(i) प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा का इस विज्ञप्ति के पैरा-4 में उल्लेख किया गया है ।

(ii) आयु और अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि इस आवेदन के पंजीकरण भाग/आवेदन भाग को भरने की अंतिम तिथि अर्थात् 24.09.2017 होगी ।

(iii) पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके पास अनुभव, जहां कहीं इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है, सहित अनिवार्य योग्यता है और वे ऊपर पैरा 10(ii) में उल्लिखित निर्णायक तारीख को आयु सीमा को भी पूरा करते हैं ।

(iv) उन पदों के लिए जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र/विधा में अनुभव का एक अनिवार्य योग्यता के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त उस क्षेत्र/विधा में अनुभव होने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

- (v) यदि अभ्यर्थी दावा करते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, विहित अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष हैं तो समकक्षता के समर्थन में भारत सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी जहां से उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी, द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों(संख्या और दिनांक सहित आदेश/ पत्र) को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
- (vi) ऐसे पद(पदों) के संबंध में, जहां अनिवार्य योग्यता के रूप में संगत भाषा में प्रवीणता अपेक्षित है, अभ्यर्थी ने उस भाषा का मैट्रिक स्तर तक अवश्य अध्ययन किया हो और यदि संगत भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है तो उक्त भाषा आवेदक की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए ।

टिप्पणी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार मुक्त विश्वविद्यालयों/दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री दूरस्थ शिक्षा परिषद भारत सरकार से मान्यताप्राप्त होनी चाहिए । तदनुसार जब तक कि यह डिग्री उस अवधि के लिए मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिसमें कि अभ्यर्थी ने संगत योग्यता प्राप्त की है, तो उसे शैक्षिक योग्यता के प्रयोजन से स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

11. आयु-सीमा और ऊपरी आयु-सीमा में छूट :
आयु-सीमा का पैरा-4 में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है ।

(क) आयु का प्रमाण
आयोग द्वारा आयु के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी ।

(ख) ऊपरी आयु-सीमा में छूट:
आवेदकों की पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है :

ऊपरी आयु-सीमा में छूट केवल तभी स्वीकार्य है जब आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के कॉलम संख्या 12 में उसका दावा करते हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के कॉलम संख्या 12.1 में श्रेणी कोड को भी सही तरीके से भरते हैं।

‘श्रेणी कोड’, ‘श्रेणी’ तथा इस विज्ञप्ति के पैरा 10 में यथा-उल्लिखित ‘ऊपरी आयु-सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट’ नीचे दी गई है :-

आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी-कोड	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पदों के लिए		
01	अजा	05 वर्ष
02	अजजा	05 वर्ष
03	अ पि व	03 वर्ष
04	शा.दि.	10 वर्ष
05	शा.दि.(अपिव)	13 वर्ष
06	शा.दि.(अजा)	15 वर्ष
07	शा.दि.(अजजा)	15 वर्ष
08	भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित/सामान्य)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
09	भूतपूर्व सैनिक (अपिव)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक

		आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)
10	भूतपूर्व सैनिक (अजा)	आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
11	भूतपूर्व सैनिक (अजजा)	आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
समूह 'ख' पदों के लिए		
12	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5वर्ष
13	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	8वर्ष (5+3) वर्ष
14	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
15	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10 वर्ष(5+5) वर्ष
समूह 'ग' पदों के लिए		
16	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40वर्ष की आयु तक
17	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	43वर्ष की आयु तक
18	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक
19	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि तक कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45वर्ष की आयु तक
20	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अनारक्षित/सामान्य)	35 वर्ष की आयु तक
21	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अपिव)	38 वर्ष की आयु तक
22	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा)	40 वर्ष की आयु तक
23	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजजा)	40 वर्ष की आयु तक
समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए		
24	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (सामान्य/अनारक्षित)।	05 वर्ष
25	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अपिव)।	08 वर्ष
26	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजा)।	10 वर्ष
27	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजजा)।	10 वर्ष
28	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों	5वर्ष

	तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (सामान्य/अनारक्षित)	
29	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अपिव)	8वर्ष (5+3) वर्ष
30	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अजा)	10 वर्ष(5+5) वर्ष
31	रक्षा कार्मिक, जो किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपदवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए हो (अजजा)	10 वर्ष(5+5) वर्ष
32	अन्य	भारत सरकार के आदेशों के अनुसार ।

टिप्पणी 1: आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में स्वीकार्य है। आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित श्रेणी के पद के लिए आवेदन करते हैं, वे अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपलब्ध सीमा तक ही आयु में छूट प्राप्त करेंगे।

टिप्पणी 2: अभ्यर्थी ऊपरी आयु सीमा में छूट लेने के लिए अपनी पात्रता की सावधानीपूर्वक जांच करेंगे। यदि वे पात्र हैं तो उन्हें, अपने लिए यथा-प्रयोज्य सही आयु छूट कोड भरने की आवश्यकता होगी। आवेदन प्रपत्र में आवेदक द्वारा गलत आयु छूट कोड भरने की स्थिति में, आवेदन के स्तर पर प्रदान की गई आयु छूट वापस ले ली जाएगी तथा उसकी अभ्यर्थिता पर तदनुसार विचार किया जाएगा।

12. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग के लिए शर्तें
- क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अजा/अजजा) आवेदकों के लिए
 - i. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे अजा/अजजा आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1।) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उनकी उप जातियां/समुदाय, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व अजा और अजजा श्रेणी के अधीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ख. अन्य पिछड़े वर्ग(अपिव) आवेदकों के लिए
 - i. अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक जो भारत सरकार के समय-समय पर यथा-संशोधित स्थायी अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं हैं और आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1।।) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव/भूपूसै/शा.दि.(शा.दि.व्यक्ति) दर्ज का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित किया जा सकता है।

ii. इस विज्ञप्ति के पैरा 9 में यथा-उल्लिखित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को, अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अधीन आवेदकों की गैर-क्रीमी लेयर प्रस्थिति की गणना की तारीख के रूप में माना जाएगा।

ग. शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) (दिव्यांग व्यक्तियों)(अस्थि दिव्यांग/श्रवण दिव्यांग/दृष्टि दिव्यांग) आवेदकों के लिए : क्या

यह पद शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया है अथवा नहीं तथा दिव्यांगता की स्वीकार्य प्रकृति का उल्लेख पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने किया गया है।

शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल उन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए, जिन पदों के लिए वे पात्र हैं।

i. केवल वे शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) व्यक्ति, जिनकी दिव्यांगता 40% अथवा अधिक है, शुल्क में रियायत, आयु में छूट, आरक्षण इत्यादि के लिए पात्र हैं।

ii. उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ, विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप [परिशिष्ट-VI(प्रपत्र-II)/(प्रपत्र-III)/ प्रपत्र-IV]] के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) प्रस्थिति के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ. शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश।

क. चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा। चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.) अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सहायता का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि आवेदन पत्र को भरते समय आयोग के समक्ष ऐसा अनुरोध किया गया हो। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को दृ.दि. अभ्यर्थियों के समतुल्य प्रलिपिक एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक ब्रेल में मुहैया नहीं कराए जाएंगे। दृष्टिहीन तथा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थियों सहित दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं अपना टेलर फ्रेम और कागज के साथ ब्रेल स्लेट ला सकते हैं। परीक्षा परिसर के अन्दर दृ.दि./ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, वे अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थी (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के अलावा) जिन्हें गति विषयक दिव्यांगता (40 प्रतिशत अथवा अधिक) है, जिसमें मुख्य लेखन अग्रगं इस हद तक प्रभावित है कि इससे अभ्यर्थी के कार्य करने की गति में कमी आ जाती है। (ऐसी कमी का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए डाक्टरी प्रमाण-पत्र में हो।) ऐसे अभ्यर्थी भी परीक्षा में प्रलिपिक की सहायता ले सकते हैं और प्रति घंटा 20 मिनट के अतिरिक्त समय का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि यह अनुरोध आवेदन पत्र में किया गया हो।

(ख) अतिरिक्त समय का प्रावधान : दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों और उपरोक्त पैरा 12 घ(क) में यथा उल्लिखित गति विषयक दिव्यांगता से पीड़ित अभ्यर्थियों को आयोग के निर्णयानुसार परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

ङ. भूतपूर्व सैनिक आवेदकों के लिए विशेष अनुदेश।

(i) शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- I) से प्राप्त प्रारूप(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-V) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा और प्रारूप[इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- V(क)] के अनुसार एक

घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) आरक्षण इत्यादि, के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

(च) भूतपूर्व सैनिक : भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
 - (क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
 - (ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
 - (ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या
- (ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा
- (iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा
- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा
- (v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा
- (vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

(छ) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

(i) मैट्रिक उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुसूची प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा

जाएगा। अतः ऐसे गैर स्नातक भूपूँसै, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा निर्धारित आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, उन्हें मानद स्नातक आवेदक नहीं माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, सशस्त्र सेनाओं में 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरा करने पर भारतीय सेना शिक्षा का विशेष मानद स्नातक प्रमाणपत्र अथवा नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र समूह 'ख' पदों के लिए लागू नहीं है।

(ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.4.92 के का.ज्ञा.संख्या 36034/6/90-स्था.एससीटी के अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक आवेदक, जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर पहले से ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उच्चतर ग्रेड में अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे। वे भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य शुल्क में रियायत के लिए भी पात्र नहीं होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को इस भर्ती के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा।

तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) के अनुसार, भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है तो वह किसी उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर सकता है। तथापि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, कोई भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करता है उसे विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरों के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा पत्र/वचन पत्र देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती आधार पर भरी जाती हैं तथा जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

(ज) केन्द्रीय सरकार सिविल कर्मचारी(सीजीसीई)आवेदकों के लिए अनुदेश

- (i) केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी, जिन्होंने इस विज्ञप्ति के पैरा-9 में यथा-उल्लिखित आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को नियमित आधार(और तदर्थ आधार पर न हो) पर कम से कम 03 वर्ष की निरन्तर सेवा प्रदान की हो और उसे भारत सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में सिविल पद धारण करते हुए केन्द्रीय सरकार की सेवा में तब तक कार्यरत रहना चाहिए जब तक कि अभ्यर्थी को उस कार्यालय/विभाग से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता, जहां अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से संस्तुति की गई है।
- (ii) आयु में छूट प्राप्त करने के लाभ का दावा करने के लिए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- I) से प्रारूप (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-IV(क)) भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में छूट प्राप्त करने के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी पद के लिए आवेदन कर रहे केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट आउट के साथ एक घोषणा पत्र (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट- IV (क)) कि उन्होंने अपने कार्यालय में सूचित कर दिया है, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा। इसके अलावा, उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत

करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के उसी स्तर पर ही अथवा किसी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

अभ्यर्थी नोट करें कि यदि परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की अनुमति रोकने के संबंध में आयोग द्वारा उनके नियोक्ता से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

13. दस्तावेजों का सत्यापन

- क. आवेदकों द्वारा अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में, अपनी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्राप्तांकों का प्रतिशत, आयु का प्रमाण, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी श्रेणी का प्रमाण[अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै-विज्ञप्ति में दिए गए प्रारूप में] के बारे में, अपने आवेदनों के प्रिंट आउट के साथ अपने समस्त प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित सुपाठ्य प्रतियां अवश्य संलग्न की जाए, अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता भर्ती प्रक्रिया के किसी स्तर पर अस्वीकार की जा सकती है।
- ख. वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने आवेदन प्रपत्रों में दी गई सूचना के समर्थन में समस्त मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की स्थिति में हों, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को उसी स्तर पर अथवा किसी उत्तरवर्ती स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
- ग. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/ अपिव/ शा.दि.(पी डब्ल्यू डी)/भूपूसै/सी.जी.सी.ई. दर्जे का दावा करते हैं अथवा इन श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आरक्षण/आयु में छूट का दावा करने के लिए अथवा अनिवार्य योग्यता/ अनुभव/आयु के प्रमाण के समर्थन में जाली प्रमाणपत्र/ दस्तावेज/ अंकतालिकाएं प्रस्तुत करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित किया जा सकता है।

14. आवेदन-पत्र को अस्वीकार/निरस्त करने के कारण :

निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में आवेदन-पत्र/ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर निरस्त/अस्वीकार की जा सकती है :-

- i. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में,
- ii. हस्ताक्षरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर,(आवेदन-प्रपत्र के प्रिंट आउट और अन्य दस्तावेजों में किए गए सभी हस्ताक्षर(पूर्ण,अल्प नहीं) अनिवार्य रूप से एक जैसे होने चाहिए),
- iii. आवेदन-पत्र में साफ और स्पष्ट फोटोग्राफ न होने की स्थिति में,
- iv. परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में , यदि कोई छूट न प्रदान की गई हो, तो
- v. अनुदेशों के अनुसार फीस का भुगतान न करने पर
- vi. कम/अधिक आयु वाले अभ्यर्थी,
- vii. शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आयु प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र [अजा/अजजा/अपिव/शा.दि.(पीडब्ल्यूडी)/भूपूसै] के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के समर्थन में आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित सुपाठ्य प्रतियों का अग्रोषण न करने पर,
- viii. आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/श्रेणी स्थिति न होने की स्थिति में,
- ix. विषयगत तथ्यों के बारे में गलत सूचना या मिथ्या विवरण देना या छिपाना

- x. संगत दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों सहित मुद्रित आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना
- xi. परीक्षा भवन/हाल में मोबाइल फोन/सहायक उपसाधनों को ले जाना,
- xii. कोई अन्य अनियमितता बरतना ।
- xiii. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना ।

टिप्पणी : । अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर/हाल के अन्दर मोबाइल फोन/किसी भी अन्य सम्प्रेषण यंत्रों को लाने की अनुमति नहीं होगी और इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध चलाए जाने वाली अपराधिक कार्रवाई पर पूर्वाग्रह रखे बगैर उसे कर्मचारी चयन आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा ।

टिप्पणी : ।। अभ्यर्थी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा कोई अन्य वस्तु जैसे पुस्तकें, नोटशीट, खुली शीट, मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजेट आदि को परीक्षा हाल में न लाएं ।

15. चयन प्रक्रियाएं :-

- क. सरकार द्वारा कनिष्ठ स्तर के पदों के लिए होने वाले साक्षात्कारों को हटा लिया गया है । तदनुसार, चयन पदों की भर्ती कंप्यूटर आधारित पद्धति में वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्प प्रश्न वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी ।
- ख. आवेदन पत्र पर अभ्यर्थियों द्वारा दर्शाए गए अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा । अभ्यर्थियों को 1:50 के अनुपात में शार्टलिस्ट किया जाएगा अर्थात् प्रत्येक रिक्ति के लिए, पात्र अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के आधार पर, 50 अभ्यर्थी होंगे । अभ्यर्थियों को पांच के गुणकों में अंकों की प्रतिशत में उपयुक्त कट-ऑफ बनाते हुए शार्टलिस्ट किया जाएगा । पांच के गुणकों में, कट-ऑफ प्रयोग करने के मानदंड से शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या कुछ अधिक या कुछ कम भी हो सकती है ।
- ग. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट करने के प्रयोजन से, आयोग विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंड का पालन करेगा और अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत को आकलन में लेगा । आयोग, अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों/ग्रजुएशन के प्रत्येक वर्ष में प्राप्त किए गए अंकों को जमा करके अंकों के प्रतिशत को आकलन करने की जिम्मेवारी नहीं लेगा, इसके बजाए अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शाए गए अनुसार अंकों के प्रतिशत/सीजीपीए को आकलन में लेगा ।
- घ. जहां पर अंकों के संगत प्रतिशत को दर्शाए बिना, अभ्यर्थी की मेरिट सीजीपीए में अंतिम वर्ष की अंकतालिका में दर्शायी गई हैं तो आयोग, यदि किसी भी संगत प्रतिशत का आकलन करना हो, प्रमाण-पत्र में विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दर्शाए मानदंड का अनुकरण करेगा । अन्य सभी मामलों में आयोग 9.5 से गुणा(X) करके सीजीपीए(जैसा कि अंतिम वर्ष की अंकतालिका विवरण में दर्शाया गया है) के परिवर्तन(कनवर्जन) सूत्र का प्रयोग करेगा ।
- ङ. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को शार्टलिस्टिंग करने के लिए अपनाया गया मानदंड अंतिम होगा । इस प्रकार के शार्टलिस्टिंग के मानदंड के विरुद्ध कोई भी अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

- च. अभ्यर्थी द्वारा उनके आवेदन पत्र में दी गई सूचना को आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात् मूल दस्तावेज के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उनकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थिता के ऐसे निरस्तीकरण के बारे में किसी भी अपील अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र में सही सूचना भरी है।

16. परीक्षा की प्रणाली

- (i) ऐसे पदों, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक, उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातक तथा ऊपरी स्तर तक की है, के लिए वस्तुनिष्ठ/बहु-विकल्प प्रश्नों वाली तीन अलग अलग कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होंगी। प्रश्नों के विषय, विषय-वार प्रश्नों के अंक तथा संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	कुल अवधि/समय
सामान्य बुद्धिमत्ता	25 प्रश्न	50	60 मिनट(कुल)
अंग्रेजी भाषा (मूलभूत ज्ञान)	25 प्रश्न	50	दृष्टि दिव्यांग/अस्थि दिव्यांग के लिए (प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और गतिविषयक दिव्यांगता से पीड़ित, जहां मुख्य लेखन अग्रांग इस हद तक प्रभावित है कि इससे अभ्यर्थियों के कार्य करने की गति में कमी आ गई है।)
संख्यात्मक अभिरूचि (मूलभूत अंकगणितीय कौशल)	25 प्रश्न	50	(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 12(ग) तथा (घ) देखें)-80 मिनट
सामान्य जानकारी	25 प्रश्न	50	

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की कटौती की जाएगी।

परीक्षा के पश्चात् उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने टेस्ट फॉर्म के मुताबिक उत्तर कुंजी को देख सकते हैं तथा प्रति उत्तर के लिए 100/-रु. का भुगतान कर, आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर, केवल ऑनलाइन माध्यम से अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो, जमा कर सकते हैं। उत्तर कुंजी को अपलोड करते समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर कुंजी के संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की संवीक्षा की जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। बाद में उत्तर कुंजियों से संबंधित किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (ii) लिखित परीक्षा के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम

(क) मैट्रिक स्तर

- (i) सामान्य बुद्धिमत्ता : इसमें गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में समानताओं तथा अंतरों, अन्तराल संकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या-शृंखला और गैर-शाब्दिक शृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों में अभ्यर्थी की योग्यता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा।

अंग्रेजी भाषा : अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा की समझ की जांच करने के अतिरिक्त, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य गठन, समानार्थक, विलोमार्थक और उसका सही प्रयोग इत्यादि, उसकी लेखन योग्यता की जांच भी की जाएगी।

संख्यात्मक अभिरूचि :

इस प्रश्न पत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता , अनुपात तथा समानुपात,औसत,ब्याज, लाभ और हानि, बट्टा, सारणी तथा ग्राफ का प्रयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य इत्यादि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे ।

सामान्य जानकारी : अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राज्य-व्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे । ये प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होती ।

टिप्पणी : 40% और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता और प्रलिपिक का विकल्प देने वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति/सामान्य जानकारी प्रश्न पत्र में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे ।

(ख) 10+2(उच्चतर माध्यमिक) स्तर

सामान्य बुद्धिमत्ता : इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इसमें वर्णबोध सादृश्य, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक/अंक सादृश्य, प्रवृत्तियां, अंकीय/आकृतिक सादृश्य, स्पेस आरिएन्टेशन, अर्थगत वर्गीकरण, वेन आरेख, प्रतीकात्मक/अंक वर्गीकरण, रेखाचित्र अनुमान, अंकीय/आकृतिक वर्गीकरण, पंचहोल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अर्थगत शृंखला,आकृतिक प्रतिरूप-फोल्डिंग एवं कंप्लीशन, अंक शृंखला, अन्तः स्थापित रेखाचित्र, रेखाचित्र शृंखला, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडबद्ध करना एवं विकोडन करना, अन्य उप विषय यदि कोई हों, संख्यात्मक संक्रियाएं ।

अंग्रेजी भाषा : त्रुटि का पता लगाना ,खाली स्थान भरना, समानार्थक/भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक, वर्तनी/गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे एवं सूक्तियां, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कृतवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन में रूपान्तरण, वाक्य के हिस्सों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों का फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना, परिज्ञान पाठ ।

संख्यात्मक अभिरूचि : अंकगणित: संख्या प्रणाली : पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं: प्रतिशतता,अनुपात तथा समानुपात,वर्गमूल,औसत, ब्याज(साधारण एवं चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि,बट्टा,साझेदारी व्यवसाय,मिश्रण एवं बंधन की त्रिया,समय एवं दूरी,समय एवं कार्य । बीजगणित: स्कूली बीजगणित की आधारभूत बीजगणित संक्रियाएं और प्रारंभिक करणी (सरल निर्मेय) और रेखीय समीकरण के रेखाचित्र । रेखागणित : प्रारंभिक रेखागणितीय आँकड़े एवं वास्तविकताओं से परिचय : त्रिकोण एवं इसके विभिन्न

प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समशेषता एवं समरूपता, वृत्त एवं इसकी जीवा, स्पर्शरेखा, एक वृत्त जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की सामान्य स्पर्शरेखा क्षेत्रमिति: त्रिकोण, चतुर्भुज,नियत बहुभुज,वृत्त, सम प्रिज्म ,सम वृत्तीय शंकु, सम वृत्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, आयातकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोण अथवा वर्ग आधार वाला नियत सम पिरामिड त्रिकोणमिति : त्रिकोणमिति ,त्रिकोणमिति अनुपात, कोटिपूरक कोण, लंबाई व दूरी (केवल सरल निर्मेय) मानक सारूप्यता जैसे $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ आदि सांख्यिकीय चार्ट : तालिका एवं ग्राफ का प्रयोग : आयतचित्र,बारंबारता बहुभुज,दण्ड चित्र (बार-डाइग्राम), पाई-चार्ट

सामान्य जानकारी : अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे । 40% और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता तथा प्रलिपिक का विकल्प देने वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति/संख्यात्मक अभिरूचि प्रश्न पत्र में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे ।

(ग) स्नातक तथा ऊपर के स्तर

सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति : इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना,स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण,निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या शृंखला, गैर-शाब्दिक शृंखला,कोडिंग एवं डिकोडिंग,विवरण निष्कर्ष,न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । इसमें विषय हैं : सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, सीमेंटिक क्रम, अंक क्रम, आंकड़े संबंधी क्रम,समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रिया, प्रतिकात्मक संक्रिया, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्युलाइजेशन, वेन डाइग्राम, रेखाचित्र अनुमिति, पंच होल/ पैटर्न-फोल्डिंग व अनफोल्डिंग आकृति पैटर्न-फोल्डिंग एवं कंप्लिशन, सूचीकरण,पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतः स्थापित आंकड़े , आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा अन्य उप- विषय, यदि कोई हो तो ।

अंग्रेजी भाषा: इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की समझ, उसके सही प्रयोग, उसके लेखन की योग्यता और परिज्ञान को जाँचा जाएगा । क,ख, और घ भागों में प्रश्नों का स्तर पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता अर्थात स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग ग में प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के होंगे ।

परिमाणात्मक अभिरूचि : इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा । इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन,दशमलव , खण्ड और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल,औसत, ब्याज,लाभ एवं हानि,बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं सहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य,

स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीये समीकरणों के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्थ, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरूप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे।

सामान्य जानकारी : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

टिप्पणी 1: आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यर्थियों की श्रेणीवार रिक्तियों और श्रेणीवार संख्या को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के प्रत्येक घटक में अर्हता के अलग-अलग अर्हता न्यूनतम मानदंड निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा।

- (iii) कौशल परीक्षा जैसे टंकण/डाटा एंट्री/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा इत्यादि जो अनिवार्य योग्यता में निर्धारित है, आयोजित की जाएगी जो अर्हक स्वरूप की होंगी।
- (iv) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी।

17. बराबरी (टाई) मामलों का निपटान

जहां दो अथवा अधिक अभ्यर्थी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा टाई मामलों का निपटान किया जाएगा:

- i) जन्म तिथि को देखकर अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
- ii) अभ्यर्थी के प्रथम नाम के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए।

18. महत्वपूर्ण टिप्पणी: चयन पदों के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय(मु.का.) शहरों/केन्द्रों पर ही आयोजित की जाएगी तथा आयोग परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी निर्दिष्ट केन्द्र पर बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध/अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. नियुक्ति के लिए संस्तुति

- i. आयोग को अभ्यर्थी की प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् अजा/अजजा/अपिव/ शा.दि. (शा.दि.व्यक्ति)/भूतपू.सै./ सामान्य (अना) की प्रत्येक श्रेणी के लिए, जहाँ भी लागू हो कम्प्यूटर आधारित परीक्षा/कौशल परीक्षा में पृथक रूप से न्यूनतम अर्हक अंक नियत करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।

- ii. परीक्षा तथा कौशल परीक्षा के पश्चात् जहां भी लागू हो आयोग कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। योग्यता सूची की स्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक प्राप्ति के अध्यक्षीन नियुक्ति के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या जितने अभ्यर्थियों को संस्तुत किया जाएगा।
- iii. अजा.अजजा तथा अपिव श्रेणी के उन अभ्यर्थियों जिनका शिथिल मानकों(अर्थात् आयु सीमा और शॉर्ट लिस्टिंग मापदंड में छूट) के बिना अपनी योग्यता से चयन होता है उन्हें रिक्तियों की आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा तथा अपिव अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्ति, यदि कोई विज्ञापित की गई हैं तो उसे अजा. अजजा तथा अपिव श्रेणी के लिए निर्धारित शिथिल मानक के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा।
- iv. शा.दि(दिव्यांग व्यक्ति) अभ्यर्थी जो इस प्रकार की श्रेणियों के लिए नियत चयन और शार्टलिस्टिंग मानदंड में छूट लिए बिना अपनी संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नियत मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें अनारक्षित रिक्ति के प्रति संस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि वह पद दिव्यांगता की उस विशेष श्रेणी के व्यक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।
- v. भूतपूर्व सैनिक अथवा शा.दि.(दिव्यांग व्यक्ति) श्रेणी का अभ्यर्थी जो शिथिल मानक के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है उसके नाम पर केवल उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।
- vi. जहाँ तक कि भूतपूर्व-सैनिक/शा.दि. अभ्यर्थी से संबंधित मामलों का संबंध है आरक्षित अथवा अनारक्षित पदों के लिए आयु में छूट अनुज्ञेय है, तथा ऐसी छूट को आयु से संबंधित शिथिल मानदंड नहीं कहा जा सकता है।
- vii. परीक्षा में सफलता ही नियुक्ति के लिए अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि सरकार ऐसी जांच/दस्तावेज सत्यापन, जो आवश्यक समझी जाए, के पश्चात् संतुष्ट न हो कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है।
20. नौकरी के अवसरों में बेरोजगारों की अधिक सुलभता की सरकारी पहल के अनुसरण में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अपनी-अपनी वेबसाइट पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उन गैर-चयनित अभ्यर्थियों का विवरण अपलोड करेंगे, जो अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों सहित अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंकों को प्राप्त कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अन्य निजी/सार्वजनिक एजेंसी, यदि वे चाहे तो अपने संगठन में पदों की भर्ती के लिए इस डाटा को प्रयोग कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विकल्प चुनना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का डाटा, जो प्रकटीकरण योजना का विकल्प नहीं भरते हैं, वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
21. जिस व्यक्ति ने:
- क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या

- ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह करने का अनुबंध किया है, तो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

22.

अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य

अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए चिकित्सा जांच में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की ही चिकित्सा जांच की जाएगी।

टिप्पणी: दिव्यांग भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन हेतु पर्याप्त माना जाएगा।

23.

दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई :

- (i) अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी जाती है कि उन्हें किसी भी मामले में प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज या अनुप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी प्रविष्टि में परिवर्तन या किसी प्रकार से हेरफेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए न ही उन्हें हेर फेर किए गए /जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई गलती अथवा विसंगति पाई जाती है, तो इस विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ii) निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई/3वर्ष तक वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :

- (i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखना सख्त रूप से मना है, चाहे इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो।
- (ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर।
- (iii) परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर
- (iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो।
- (v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो।
- (vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो।
- (vii) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है।
- (viii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो।
- (ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो।
- (x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो।
- (xi) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो।

24. पक्षप्रचार:
किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रः कर दी जाएगी।
25. आयोग का निर्णय अंतिम :
पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा चयन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
26. न्यायालय/न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार
इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान जहाँ कर्मचारी चयन आयोग का क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं अर्थात् चण्डीगढ़ का न्यायालय/न्यायाधिकरण।

परिशिष्ट- I

क्र.सं.	परिशिष्ट सं.	जाति/समुदाय/श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी	
1.	परिशिष्ट-I(क)	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश/आवेदन भरने के लिए निर्देश		
2.	परिशिष्ट-II	अ.जा/अ.ज.जा.	i	जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी बैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालिका मजिस्ट्रेट।
			ii	मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
			iii	राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
			iv	उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां आवेदक तथा उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
			टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अजजा अभ्यर्थी को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।	
3.	परिशिष्ट-III	अपिव	जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त इत्यादि	
4.	परिशिष्ट-IV	सीजीसीई	कार्यालय प्रधान या विभागीय प्रधान	
5.	परिशिष्ट- IV (ए)	ईए/सीजीसीई	स्वयं आवेदक	
6.	परिशिष्ट-V	भूपूसै	कमान अफसर	
7.	परिशिष्ट-V (ए)		स्वयं आवेदक	
8.	परिशिष्ट-VI	फार्म-II	चिकित्सा बोर्ड के सदस्य/ अध्यक्ष तथा चिकित्सा अधीक्षक/मु.चि.अ./चिकित्सालय के प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित	
		फार्म-III		
		फार्म-IV		

आवेदन के पंजीकरण/ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया/ अनुदेश तथा अभ्यर्थियों के लिए सामान्य महत्वपूर्ण अनुदेश

1. चयन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को <http://ssconline.nic.in> पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा । अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण करके कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किसी भी चयन पद के लिए आवेदन कर सकता है।
2. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण फार्म/आवेदन पत्र भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।
3. अनुदेशों को पढ़ने के पश्चात् अभ्यर्थियों को पंजीकरण भाग में जाना चाहिए तथा ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरना चाहिए।
4. पंजीकरण भाग में अभ्यर्थियों को स्वयं से संबंधित मूलभूत सूचना भरनी होगी। विवरण जमा करने पर फार्म जमा करने से पहले अभ्यर्थी को विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा।
5. अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र भरते समय सभी अपेक्षित सूचना प्रदान करनी चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को तारक चिह्न से अंकित किया गया है।
6. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड वाला पृष्ठ तैयार हो जाएगा। पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड को लिख लें तथा उन्हें सुरक्षित रखें। यह आपका स्थायी पंजीकरण आईडी तथा पासवर्ड होगा जो चयन पदों के साथ साथ आयोग के किसी अन्य भर्ती परीक्षा के आवेदन के लिए अपेक्षित होगा।
7. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर अभ्यर्थी को अपने हाल ही के निर्धारित आकार के रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
8. हस्ताक्षर और फोटोग्राफ जेपीजे फॉर्मेट में अपलोड करना चाहिए। हस्ताक्षर फाइल का डिजिटल आकार 1 केबी से ज्यादा तथा 12 केबी से कम होना चाहिए । फोटोग्राफ के फाइल का डिजिटल आकार 4 केबी से ज्यादा तथा 20 केबी से कम होना चाहिए ।
9. अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात् ही पंजीकरण पूरा होगा।
10. पंजीकरण भाग पूरा करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए।
11. पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी प्रणाली में लॉगइन कर सकते हैं तथा आवेदन पत्र भर सकते हैं।
12. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञप्ति के अनुदेशों की सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए।
13. अभ्यर्थी द्वारा भरे गए 'एक बारगी पंजीकरण', फोटोग्राफ/हस्ताक्षर इत्यादि में किसी भी विसंगति के मामले में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले 'एक बारगी पंजीकरण' में सुविधानुसार

संशोधन कर सकते हैं। आयोग पंजीकरण के बाद नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग तथा मैट्रिकूलेशन अनुक्रमांक जैसे सूचनाओं में केवल एक बार संशोधन करने की अनुमति देता है। अतः उन खानों को सावधानीपूर्वक भरना/संशोधित करना चाहिए। 'एक बारगी पंजीकरण' में अन्य खानों को प्रत्येक परीक्षा से पहले परन्तु परीक्षा में आवेदन जमा करने से पहले एक बार संशोधन कर सकते हैं। ऐसा संशोधन आवेदन जमा करने से पहले स्वीकार्य होगा। एक बार आवेदन जमा करने के बाद 'एक बारगी पंजीकरण' तथा 'आवेदन डाटा' में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

14. ऑनलाइन आवेदन (सभी बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) की सुविधा 25.08.2017 से 24.09.2017(सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वह 27.09.2017 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि चालान दिनांक 24.9.2017 को सायं 5.00 बजे से पहले जेनरेट किया गया हो। चालान निकालने की सुविधा केवल दिनांक 24.9.2017 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी।
15. आवेदन पत्र में परिवर्तन/सुधार के लिए किए गए अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
16. फोटोग्राफ/हस्ताक्षर रहित अथवा धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
17. अभ्यर्थी जिन्हें शुल्क भुगतान से छूट नहीं है उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग में जमा हुआ है। यदि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन पत्र की स्थिति को अपूर्ण दर्शाया जाएगा तथा यह सूचना आवेदन पत्र के सबसे ऊपर मुद्रित होगा। इसके अतिरिक्त इसकी स्थिति <http://www.ssconline.nic.in> पर दिए गए "चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस हेयर" में सत्यापित कर सकते हैं। ऐसे आवेदन जो शुल्क प्राप्ति न होने के कारण अपूर्ण रह गई हो, को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे तथा परीक्षा की विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद शुल्क भुगतान तथा ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. अभ्यर्थियों को मैट्रिकूलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख किए अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
19. आवेदन जमा करने की तिथि को उपलब्ध मैट्रिकूलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में यथा रूप में दर्ज जन्म तिथि को ही जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
20. उपरोक्त परीक्षा के लिए कोई भी प्रवेश प्रमाणपत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट से परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करना अपेक्षित है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*

.....

पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा*

..... जिला/संभाग* राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र* के जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो

निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश,
1950.....

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश,
1951*.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र
आदेश,1951*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*

.....के माता/पिता

श्री/श्रीमती.....निवासी

ग्राम/कस्बा* जिला/संभाग* राज्य/

संघ राज्य क्षेत्र* को जारी किए गए

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ...

.....जाति/जनजाति से संबंधित हैं

जो..... दिनांकद्वारा
जारी.....राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या* उनका परिवार सामान्यतः
ग्राम/कस्बा*..... जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र.....में रहता है ।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम.....

स्थान.....
सहित)

(कार्यालय की मुहर

दिनांक.....

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व
अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी
कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप मंडलीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक
आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः
रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय
अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री ग्राम

जिला/संभागराज्य
समुदाय से संबंधित हैं जो भारत
 सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प
 संख्या.....दिनांक.....* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है

श्री/श्रीमती/कु..... तथा/या उनका परिवार
 सामान्यतः.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के
 जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 ** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

कार्यालय का मुहर: जिलाधीश या उपायुक्त
 आदि।

*-जो प्राधिकारी ये प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं, उन्हें भारत सरकार के उस संकल्प संख्या का विवरण देना होगा जिसमें अभ्यर्थी की अपिब जाति उल्लेखित है।

**- समय समय पर यथा संशोधित।

टिप्पणी :- यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

आयु में छूट चाहने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र(संगठन का पत्र शीर्ष)

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)
(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -12(ज) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रु. के वेतनमान में _____ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें दिनांक---
----- को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं।

हस्ताक्षर _____

नाम एवं पदनाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के घोषणा सहित सभी आवेदक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -12(ज) देखें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासी लम्बित है अथवा अवेक्षित है।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ :

नियुक्ति की तिथि : ___

वर्तमान पद तथा वेतनमान : ___

दूरभाष सं./फैक्स/ई-मेल सहित नियोक्ता का नाम व पता : ___

स्थान तथा दिनांक:

*आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(संगठन के पत्र शीर्ष पर)
(कृपया विज्ञप्ति के पैरा 12 (ड) तथा (च) को देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार
(नंबर).....(रैंक).....(नाम).....
.....(दिनांक).....को सशस्त्र सेना
में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थान:

(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा

(कृपया विज्ञप्ति के पैरा 12 (ड) तथा (च) को देखें)

मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूँ।

मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूँ:

- क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि__
- ख) कार्यमुक्त की तिथि _____
- ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि__
- घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर __
- ड.) पुनः नियुक्ति का ब्यौरा, यदि कोई__

(अभ्यर्थी के पूरे हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं नेत्रहीनता के मामले में)
(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाणपत्रसंख्या.....
दिनांक.....प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----
-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
-----जन्म तिथि -----आयु..... (दि./म./व.)
-----पुरुष/महिला-----पंजीकरण संख्या.....
-----स्थायी आवास मकान नं..... वार्ड/ गांव/
गली.....डाकघर.....जिला.....

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

राज्य..... जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है, की सावधानीपूर्वक जांच की है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- नेत्रहीनता का है
(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में.....निदान किया गया है ।

(क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने.....(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में
.....%(अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं ।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु विकलांगता के मामले में)
(नियम 4 देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री-----जन्म तिथि-----आयु..... (दि./म./व.)

.....पुरुष/महिला----- पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं..... वार्ड/गांव/गली..... डाकघर.....जिला.....राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है की सावधानीपूर्वक जांच की है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु-विकलांगता का है। निःशक्तता के लिए दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में संगत निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

कृपया उस निःशक्तता को काट दें जो लागू न हो

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है :-

अंकों में.....प्रतिशत

शब्दों में.....प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii)वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र तक मान्य रहेगा।

तारीख

माह

वर्ष

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(प्रारूप II एवं III में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)
(नियम 4 देखें)

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----

-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----जन्म तिथि -----

-----आयु.....

(दि./म./व.)

.....पुरुष/महिला----- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला.....निःशक्तता है । निःशक्तता के लिए (ब्योरा दिया जाए) दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनों आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	£		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस निःशक्तता को काट दे जो लागू न हो)

(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे) (# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें)(£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii)वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र तक मान्य रहेगा ।

तारीख

माह

वर्ष

(@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे) (# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें)(£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान)

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मुहर)

यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर)